## उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक ...कास प्राधिकरण



मूपीएसआई डीए काम्पलेक्स A-1/4, लखनपुर, कानपुर पोस्ट बाक्स र्न. 1050

कानपुर - 208024

तूरगाष : 2582851-53 (PBX) फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com.

ई गेल : md@upsidc.com रिन U26960UP196ISGC002834

पत्रोक

## / यूपीसीडा / स्था०

दिनांक

## कार्यालय आदेश

## सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अन्तर्गत वेतन निर्धारण

शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—561/दस—62 (एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 जिसे उठप्र० शासन के सार्वजिनक उद्यम अनुभाग—1 के पत्रांक 860/44—1—2010 दिनांक 12.05.2010 के द्वारा निगमों पर लागू किया गया। निदेशक मण्डल की 272वीं बैठक दि० 24.12.2010 के द्वारा अनुमोदित एवं उठप्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 5232/86—11—73/2011 दिनांक 18.07.2011 के द्वारा निगम कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ शासनादेश दिनांक 04.05.2010 में निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त प्रमुख सचिव वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग—2, उठप्र० शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या वे0आ0—2773/दस—62 (एक)/2008 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में जारी शासनादेशों को अवकमित कर शासनादेश दिनांक 05.11.2014 में उल्लिखत व्यवस्था के अनुसार ए.सी.पी. की व्यवस्था दिनांक 01.12.2008 से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी कम में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग—4, उठप्र० शासन के पत्र सं० 474/77—4—19—274 दिनांक 08.03.2019 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को वेतन बैण्ड—2 रू० 9300—34800/— सादृश्य ग्रेड वेतन रू० 4600/— तक के सभी पदों के कार्मिकों को ए०सी०पी० के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये। तदोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 1123—25/एसआईडीए/स्था0—विविध—436 दिनांक 04.08.2020 द्वारा वेतन बैण्ड—2, रू० 9300—34800/— सादृश्य ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों को ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया।

तत्क्रम में गठित समिति की दिनांक 29.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 24.08.2021 के क्रम में श्री एस0सी0 गुप्ता, सहायक प्रबन्धक—सिविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का दिनांक 12.01.2010 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 7600 /— में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1.	दि० 12.01.2010 को वेतन बैण्ड—3, रू० 15600—39100 / — में आहरित वेतन	रू0 21510=00
2.	सादृश्य ग्रेड वेतन	रू0 6600=00
3	योग (कमांक 1+2)	<del>ত্</del> বত 28110=00
4.	क्रमांक—3 का 3% वेतन वृद्धि तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप (कार्मिक की सहमति के अनुसार दिनांक 01.07.2012 को देय)	_
5.	दि0 12.01.2010 को वेतन बैण्ड—3, रू0 15600—39100/— एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/— में निर्धारित वेतन	₹50 21510==00

उक्त के फलस्वरूप श्री एस0सी0 गुप्ता, सहायक प्रबन्धक—िसविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2010 से वेतन रू0 21510+ ग्रेड वेतन रू0 7600= रू0 29110/— (मूल वेतन) निर्धारित किया जाता है तथा इनकी आगामी वेतन वृद्धियाँ निम्न प्रकार से देय होगी :—

वेतन वृद्धि की तिथि	वेतन वृद्धि की	वेतन बैण्ड में	ग्रे ड	टिप्पणी
2	धनराशि (रूपये में)	वेतन (रूपये में)	वेतन	
01.07.2010	850/-	22360 / -	7600/-	_
(नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि)				

ACP office order



01.07.2010 (वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत)	870	23230/	7600 /-	AND
01.07.2011	930 / -	24160 /	7600 / -	
01.07.2012	960 /	25120/	7600 /	30x14
01.07.2013	990 /	26110/-	7600 /	
01.07.2014	1020 /	27130/-	7600 / -	
01.07.2015	1050 / -	28180 / -	7600 / -	AND THE PROPERTY OF THE PROPER

उक्त वैतन निर्धारण का नकद लाभ दिनांक 10.03.2010 से देय होगा।

तत्कम मे दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित किये जाने राम्बन्धी गणनाचार्ट के परीक्षणोपरान्त श्री एस०सी० गुप्ता, सहायक प्रबन्धक—सिविल (सेवानिवृत्त दिनांक 31.12.2018) का सातवें वेतन मैट्रिक्स मे ग्रेड वेतन रू० 7600/— के तदनुरूपी अनुमन्य प्रयोज्य लेबल—12 की कोष्टिका के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से वेतन का निर्धारण निग्नानुसार किया जाता है :—

1.	वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल—12 में दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित मूल वेतन	₹50 94100/-
2.	दिनांक 01.07.2016 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	₹50 96900 / -
3.	दिनांक 01.07.2017 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	₹0 99800 / -
4.	दिनांक 01.07.2018 को नियमित वेतनवृद्धि के उपरान्त मूल वेतन	रू० 102800 ∕ −

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से वचनबंध भी प्राप्त कर लिया जायें तथा ए०सी०पी० के लाभ की अवधि में भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो यह आदेश निरस्त करते हुये भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी।

उपरोक्त वेतन निर्धारण का भुगतान शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। उक्त वेतन निर्धारण में यदि कोई विसंगति संज्ञान में आती है तो तदनुसार समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही प्रस्तुत वचनबंध के अनुरूप की जायेगी।

( नेहा जैन )

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संदर्भ सं0 5 290 -29/यूपीसीडा/स्था0 (F - 7) - 32 5 दिनांक 04-02-2022

- 1. वित्त नियंत्रक, उ०प्र<sup>०</sup>रा०औ०वि०प्रा०, मुख्यालय, कानपुर।
- 2. वरिष्ठ प्रबन्धक—सिविल, निर्माण खण्ड—1, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, गाजियाबाद।
- 3. वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल, निर्माण खण्ड–2, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, सूरजपुर।
- 4. वरिष्ठ प्रबन्धक—सिविल, निर्माण खण्ड—5, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, आगरा।
- 5. वरिष्ठ प्रबन्धक—सिविल, निर्माण खण्ड—6, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, अयोध्या।
- 6. वरिष्ठ प्रबन्धक—सिविल, निर्माण खण्ड—८, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर।
- 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, गोरखपुर।
- ्रि प्रभारी(कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
  - 9. श्री एस0सी० गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक प्रबन्धक—सिविल, ए—2, जी०डी०ए० पुलिस कालोनी पटेल नगर—3, गाजियाबाद।
  - 10. गार्ड फाइल।

03/02/2022

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ACP office order